न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 501/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सुनील होरो – विक्रेता

सोनी देवी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
21.08.19	**आदेश**	

आवेदक सुनील होरो पिता स्व0 करियस होरो ग्राम–घोरपिण्डा, थाना–कर्रा, जिला खूँटी ने सोनी देवी पति राजेश बडाईक ग्राम–पोढ़ा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
पोढ़ा	73	113	102	0.10
			679	0.85
				0.95

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 888 दिनांक 14.08.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि आर0एस0 खतियान में बकास्त भुइहरी मुण्डाईन दर्ज जो CNT के अधीन नही है। अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा भूमि विक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

21/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।